

राकेश कुमार यादव

जनसेवक संजारी बालोद - 59

संजारी बालोद विधानसभा प्रत्याशी (2023)

पूर्व प्रदेश मंत्री भा.ज.पा.

पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष



निवास

आमापारा, दल्ली रोड बालोद

तहसील बालोद, जिला बालोद (छ.ग.)

फोन : 6265090065 / 9993236733

पत्र क्रमांक.....

प्रति,

दिनांक 16-10-2026

माननीय श्री विष्णुदेव साय जी

मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

मंत्रालय, महानदी भवन

नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

विषय: पथराटोला, विकासखंड डौंडी, जिला बालोद में लगभग रु. 5 करोड़ की लागत से प्रस्तावित विज्ञान केंद्र के निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने तथा खनन प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं, पेयजल, लाल पानी की समस्या के समाधान, सड़क, नाली, रोजगार एवं आजीविका मूलक कार्यों को प्राथमिकता देने के संबंध में।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सादर जोहार

सविनय निवेदन है कि जिला बालोद का डौंडी विकासखंड आदिवासी बहुल एवं खनन प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ के अनेक ग्रामीण परिवार आज भी सुरक्षित पेयजल, लाल पानी की समस्या के समाधान, सड़क, नाली, गाँवों के समुचित विकास, रोजगार एवं आजीविका जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन समस्याओं का समाधान क्षेत्र के ग्रामीणों के स्वास्थ्य, सम्मान और जीवन स्तर से सीधे जुड़ा हुआ है।

ऐसी परिस्थितियों में ग्राम पथराटोला में प्रस्तावित विज्ञान केंद्र की योजना पर गंभीर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस परियोजना की लागत लगभग रु.5 करोड़ प्रस्तावित है। हालाँकि, परियोजना की वास्तविक लागत, वित्तपोषण के स्रोत एवं स्वीकृति की स्थिति की आधिकारिक पुष्टि होना आवश्यक है। यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इस परियोजना के लिए जिला खनिज न्यास (DMF/DMFT) निधि का उपयोग किया जा रहा है अथवा किसी अन्य मद या योजना से राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

जब खनन प्रभावित क्षेत्र के आदिवासी परिवार बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं, तब उनकी वास्तविक आवश्यकताओं को पर्याप्त प्राथमिकता दिए बिना किसी बड़ी निर्माण परियोजना को आगे बढ़ाने के औचित्य की निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए।

महोदय, मेरा उद्देश्य विज्ञान शिक्षा अथवा वैज्ञानिक गतिविधियों का विरोध करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन का उपयोग क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं और स्थानीय जनता के व्यापक हित में किया जाए। विकास का वास्तविक अर्थ केवल भवनों का निर्माण करना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित पेयजल, बेहतर सड़क, आवश्यक नागरिक सुविधाएँ, रोजगार और सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराना भी है।

राकेश कुमार यादव

जनसेवक संजारी बालोद - 59

संजारी बालोद विधानसभा प्रत्याशी (2023)

पूर्व प्रदेश मंत्री भा.ज.पा.

पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष



निवास

आमापारा, दल्ली रोड बालोद

तहसील बालोद, जिला बालोद (छ.ग.)

फोन : 6265090065 / 9993236733

पत्र क्रमांक.....

दिनांक.....

अतः इस प्रकरण में प्रस्तावित विज्ञान केंद्र की आवश्यकता, लागत, वित्तपोषण, स्वीकृति प्रक्रिया एवं जनोपयोगिता की स्वतंत्र जाँच कराते हुए, जाँच पूरी होने तक इसके निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने तथा खनन प्रभावित आदिवासी गाँवों की मूलभूत समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने का अनुरोध है।

1. लाल पानी की समस्या एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता

डोंडी क्षेत्र के कुछ गाँवों में लाल रंग के पानी की समस्या को लेकर गंभीर चिंता है। सुरक्षित पेयजल प्रत्येक नागरिक की मूलभूत आवश्यकता है। इसलिए संबंधित विभागों के माध्यम से प्रभावित गाँवों के जल स्रोतों एवं पेयजल के नमूनों की वैज्ञानिक जाँच कराई जाए, ताकि पानी की गुणवत्ता, संभावित कारणों तथा पेयजल के रूप में उसकी उपयुक्तता का पता चल सके।

जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित गाँवों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तत्काल आवश्यक व्यवस्था की जाए। जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ वैकल्पिक जल स्रोत, जल शोधन व्यवस्था तथा समस्या के स्थायी समाधान के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जाए।

जब ग्रामीणों की सुरक्षित पेयजल जैसी बुनियादी आवश्यकता के समाधान की जरूरत बनी हुई है, तब अन्य बड़ी निर्माण परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करते समय इस समस्या को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए।

2. सड़क, नाली एवं गाँवों के समग्र विकास को प्राथमिकता

डोंडी विकासखंड के खनन प्रभावित एवं आदिवासी गाँवों में सड़क, नाली, जल निकासी, स्वच्छता तथा अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का गाँववार सर्वेक्षण कराया जाए।

जिन गाँवों में सड़कें खराब हैं, नालियों का अभाव है, जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है अथवा अन्य बुनियादी सुविधाएँ अपर्याप्त हैं, वहाँ आवश्यकता के आधार पर विकास कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित की जाए।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खनन प्रभावित ग्रामीणों को प्रत्यक्ष लाभ देने वाले आवश्यक कार्यों की उपेक्षा न हो। विकास योजनाओं का चयन स्थानीय समस्याओं, आवश्यकता की गंभीरता तथा जनता को मिलने वाले वास्तविक लाभ के आधार पर किया जाना चाहिए।

राकेश कुमार यादव

जनसेवक संजारी बालोद - 59

संजारी बालोद विधानसभा प्रत्याशी (2023)

पूर्व प्रदेश मंत्री भा.ज.पा.

पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष



निवास

आमापारा, दल्ली रोड बालोद

तहसील बालोद, जिला बालोद (छ.ग.)

फोन : 6265090065 / 9993236733

पत्र क्रमांक.....

दिनांक.....

3. रोजगार एवं आजीविका मूलक कार्यों की आवश्यकता

खनन प्रभावित आदिवासी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं और ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार तथा आजीविका के स्थायी साधन उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। इसके लिए कौशल विकास, स्वरोजगार, कृषि आधारित गतिविधियों तथा अन्य रोजगारोन्मुख योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

प्रस्तावित विज्ञान केंद्र पर अनुमानित रूप से इतनी बड़ी राशि खर्च करने से स्थानीय ग्रामीणों, विद्यार्थियों एवं युवाओं को कितना प्रत्यक्ष और दीर्घकालीन लाभ मिलेगा, इसका वस्तुनिष्ठ आकलन किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी देखा जाए कि उपलब्ध संसाधनों से क्षेत्र की पेयजल, सड़क, नाली, रोजगार एवं आजीविका संबंधी आवश्यकताओं को किस प्रकार अधिक प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकता है।

सार्वजनिक धन का उपयोग ऐसी योजनाओं में होना चाहिए, जिनसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में वास्तविक सुधार आए और खनन प्रभावित क्षेत्र के लोगों को प्रत्यक्ष एवं दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हो।

4. प्रस्तावित विज्ञान केंद्र के निर्माण कार्य पर तत्काल रोक की आवश्यकता

महोदय, उपर्युक्त परिस्थितियों को देखते हुए पथराटोला में प्रस्तावित विज्ञान केंद्र की आवश्यकता, प्राथमिकता एवं जनोपयोगिता की स्वतंत्र समीक्षा आवश्यक है। परियोजना की वास्तविक लागत और वित्तपोषण के स्रोत की पुष्टि किए बिना तथा उसकी दीर्घकालीन उपयोगिता का समुचित आकलन किए बिना आगे की कार्रवाई करना उचित नहीं होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि परियोजना की आवश्यकता, लागत, स्वीकृति, वित्तपोषण एवं जनहित का स्वतंत्र परीक्षण होने तक इसके निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी किए जाएँ। जाँच पूरी होने तक परियोजना से संबंधित आगे की धनराशि जारी करने, नए कार्यादेश देने एवं अन्य संबंधित वित्तीय तथा प्रशासनिक कार्रवाई को नियमानुसार स्थगित रखने के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जाए।

यदि जाँच में परियोजना का पर्याप्त जनहितकारी औचित्य सिद्ध नहीं होता अथवा क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं की उपेक्षा सामने आती है, तो परियोजना को जारी रखने, उसके स्वरूप में परिवर्तन करने अथवा उपलब्ध संसाधनों को अधिक आवश्यक जनहितकारी कार्यों की ओर प्राथमिकता देने के विषय में नियमानुसार पुनर्विचार किया जाए।

राकेश कुमार यादव

जनसेवक संजारी बालोद - 59

संजारी बालोद विधानसभा प्रत्याशी (2023)

पूर्व प्रदेश मंत्री भा.ज.पा.

पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष



निवास

आमापारा, दल्ली रोड बालोद

तहसील बालोद, जिला बालोद (छ.ग.)

फोन : 6265090065 / 9993236733

पत्र क्रमांक.....

दिनांक.....

5.परियोजना की लागत, वित्तपोषण एवं चयन प्रक्रिया की स्वतंत्र जाँच

इस परियोजना के संबंध में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि इसकी वास्तविक अनुमानित लागत कितनी है, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की स्थिति क्या है, राशि किस मद या योजना से प्रस्तावित है तथा क्या इसमें जिला खनिज न्यास (DMF/DMFT) निधि का उपयोग किया जा रहा है।

यदि परियोजना में DMF निधि का उपयोग प्रस्तावित है, तो उसके उपयोग का औचित्य, संबंधित स्वीकृति एवं खनन प्रभावित क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकताओं की तुलना में इसकी प्राथमिकता की निष्पक्ष समीक्षा की जाए।

इसके अतिरिक्त, परियोजना के चयन, स्वीकृति एवं कार्य आवंटन की प्रक्रिया को लेकर यह आशंका भी है कि कहीं निर्धारित नियमों एवं जनहित की प्राथमिकताओं की अपेक्षा कुछ अधिकारियों की व्यक्तिगत रुचि अथवा अन्य निजी हित निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं। इस पहलू की भी निष्पक्ष जाँच आवश्यक है।

जाँच में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाए:-

1. परियोजना की वास्तविक लागत, वित्तपोषण का स्रोत तथा प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की स्थिति।
2. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR), लागत अनुमान तथा परियोजना चयन का आधार।
3. यदि DMF निधि का उपयोग प्रस्तावित है, तो उसके उपयोग का औचित्य एवं लागू प्रावधानों के अनुरूप होने की स्थिति।
4. निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश एवं कार्य आवंटन में निर्धारित नियमों और पारदर्शिता का पालन।
5. संबंधित अधिकारियों की भूमिका, परियोजना को आगे बढ़ाने में उनकी व्यक्तिगत रुचि के कारणों तथा संभावित हितों के टकराव की स्थिति।
6. किसी अधिकारी, ठेकेदार अथवा संबंधित व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुँचाने की आशंका से जुड़े तथ्यों एवं दस्तावेजों का परीक्षण।

यदि जाँच में किसी प्रकार की अनियमितता, पक्षपात, अनुचित लाभ अथवा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित व्यक्तियों की जवाबदेही निर्धारित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

इस शिकायत का उद्देश्य बिना जाँच किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनहित सुनिश्चित कराना है।

राकेश कुमार यादव

जनसेवक संजारी बालोद - 59

संजारी बालोद विधानसभा प्रत्याशी (2023)

पूर्व प्रदेश मंत्री भा.ज.पा.

पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष



निवास

आमापारा, दल्ली रोड बालोद

तहसील बालोद, जिला बालोद (छ.ग.)

फोन : 6265090065 / 9993236733

पत्र क्रमांक.....

दिनांक.....

6. विज्ञान केंद्र के संचालन एवं संधारण की दीर्घकालीन व्यवस्था

किसी भी सार्वजनिक परियोजना की उपयोगिता केवल उसके भवन निर्माण तक सीमित नहीं होती। विज्ञान केंद्र के निर्माण के बाद उसके नियमित संचालन, रखरखाव, बिजली, उपकरणों के संरक्षण, कर्मचारियों तथा अन्य आवर्ती खर्चों के लिए भी निरंतर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी।

अतः परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि विज्ञान केंद्र का संचालन कौन करेगा, उसके संचालन एवं संधारण के लिए प्रतिवर्ष कितनी राशि की आवश्यकता होगी, यह राशि किस मद से उपलब्ध कराई जाएगी तथा आवश्यक कर्मचारियों और वैज्ञानिक उपकरणों की व्यवस्था कैसे की जाएगी।

यह भी आकलन किया जाए कि स्थानीय विद्यार्थियों, युवाओं एवं आम नागरिकों को इससे कितना प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा तथा निर्माण के बाद केंद्र के निष्क्रिय अथवा अनुपयोगी पड़े रहने की आशंका को रोकने के लिए क्या ठोस योजना बनाई गई है।

यदि पर्याप्त बजट, संचालन व्यवस्था एवं उपयोग की व्यावहारिक योजना के अभाव में निर्माण के बाद विज्ञान केंद्र निष्क्रिय पड़ा रहता है, तो उसमें खर्च की गई करोड़ों रुपये की सार्वजनिक राशि अपेक्षित लाभ नहीं दे पाएगी। इसलिए परियोजना की दीर्घकालीन उपयोगिता, संचालन-संधारण की वित्तीय व्यवस्था एवं वास्तविक लाभार्थियों का आकलन उसकी स्वीकृति और क्रियान्वयन संबंधी निर्णयों में शामिल किया जाए।

7. खनन प्रभावित गाँवों के विकास के लिए समयबद्ध कार्ययोजना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों को निर्देशित किया जाए कि डोंडी विकासखंड के खनन प्रभावित आदिवासी गाँवों की मूलभूत सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का गाँववार सर्वेक्षण कराया जाए।

इस सर्वेक्षण में विशेष रूप से निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएँ:-

- लाल पानी की समस्या एवं पेयजल की गुणवत्ता की वैज्ञानिक जाँच।
- सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता एवं आवश्यक जल शोधन व्यवस्था।
- ग्रामीण सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण।
- नालियों, जल निकासी और स्वच्छता संबंधी सुविधाएँ।
- गाँवों की अन्य आवश्यक बुनियादी नागरिक सुविधाएँ।
- स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर।
- ग्रामीण परिवारों के लिए स्वरोजगार, कृषि आधारित गतिविधियाँ एवं अन्य आजीविका मूलक कार्य।

राकेश कुमार यादव

जनसेवक संजारी बालोद - 59

संजारी बालोद विधानसभा प्रत्याशी (2023)

पूर्व प्रदेश मंत्री भा.ज.पा.

पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष



निवास

आमापारा, दल्ली रोड बालोद

तहसील बालोद, जिला बालोद (छ.ग.)

फोन : 6265090065 / 9993236733

पत्र क्रमांक.....

दिनांक.....

सर्वेक्षण के आधार पर प्राथमिकता सूची तैयार कर समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जाए। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग ग्रामीणों की वास्तविक आवश्यकताओं, प्रभावित परिवारों को मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ तथा समस्याओं की गंभीरता को ध्यान में रखकर किया जाए।

8. माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रमुख मांगें

उपरोक्त तथ्यों एवं जनहित से जुड़े विषयों को ध्यान में रखते हुए आपसे विनम्र निवेदन है कि:

1. पथराटोला में प्रस्तावित विज्ञान केंद्र के निर्माण कार्य पर जाँच पूरी होने तक तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी किए जाएँ।
2. जाँच पूरी होने तक परियोजना से संबंधित आगे की धनराशि जारी करने, नए कार्यादेश देने तथा अन्य संबंधित वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्रवाई को नियमानुसार स्थगित रखने के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जाए।
3. परियोजना की वास्तविक लागत, वित्तपोषण का स्रोत, आवश्यकता, जनोपयोगिता एवं स्वीकृति प्रक्रिया की स्वतंत्र जाँच कराई जाए।
4. यह स्पष्ट किया जाए कि परियोजना में DMF/DMFT निधि का उपयोग किया जा रहा है या नहीं; यदि किया जा रहा है, तो निधि के उपयोग का औचित्य एवं निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन की जाँच कराई जाए।
5. परियोजना चयन एवं कार्य आवंटन में संभावित पक्षपात, व्यक्तिगत हितों अथवा हितों के टकराव की आशंका की निष्पक्ष जाँच कराई जाए।
6. विज्ञान केंद्र के संचालन, संधारण, कर्मचारियों, उपकरणों एवं वार्षिक खर्च की व्यवस्था का आकलन कराया जाए।
7. खनन प्रभावित गाँवों में लाल पानी की समस्या एवं पेयजल की गुणवत्ता की वैज्ञानिक जाँच कराकर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्रवाई की जाए।
8. ग्रामीण सड़कों, नालियों, स्वच्छता तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य कराए जाएँ।
9. स्थानीय आदिवासी परिवारों के लिए रोजगार, कौशल विकास, स्वरोजगार एवं आजीविका मूलक योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए।
10. यदि जाँच में अनियमितता अथवा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

राकेश कुमार यादव

जनसेवक संजारी बालोद - 59

संजारी बालोद विधानसभा प्रत्याशी (2023)

पूर्व प्रदेश मंत्री भा.ज.पा.

पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष



निवास

आमापारा, दल्ली रोड बालोद

तहसील बालोद, जिला बालोद (छ.ग.)

फोन : 6265090065 / 9993236733

पत्र क्रमांक.....

दिनांक.....

11. शिकायत पर की गई कार्रवाई, जाँच की समयसीमा तथा अंतिम निर्णय से शिकायतकर्ता को लिखित रूप में अवगत कराया जाए।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यह विषय केवल एक विज्ञान केंद्र के निर्माण का नहीं, बल्कि खनन प्रभावित आदिवासी क्षेत्र में सार्वजनिक धन के उचित उपयोग, ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताओं तथा विकास की प्राथमिकताओं से जुड़ा हुआ है।

जब क्षेत्र के ग्रामीण सुरक्षित पेयजल, लाल पानी की समस्या के समाधान, सड़क, नाली, गाँवों के विकास, रोजगार एवं आजीविका जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हों, तब पथराटोला में प्रस्तावित विज्ञान केंद्र को प्राथमिकता देने के निर्णय की गंभीर समीक्षा आवश्यक है।

मेरा स्पष्ट निवेदन है कि जिस परियोजना की आवश्यकता, उपयोगिता एवं जनहितकारी औचित्य पर्याप्त रूप से प्रमाणित न हो, उसे केवल निर्माण के उद्देश्य से आगे न बढ़ाया जाए। ऐसी परियोजना के निर्माण पर जाँच पूरी होने तक रोक लगाकर पहले खनन प्रभावित गाँवों की मूलभूत समस्याओं के समाधान और स्थानीय जनता के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जाए।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस प्रकरण का गंभीरता से संज्ञान लेकर प्रस्तावित विज्ञान केंद्र के निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें, परियोजना की लागत, वित्तपोषण, चयन एवं स्वीकृति प्रक्रिया की स्वतंत्र जाँच सुनिश्चित करें तथा सार्वजनिक निधि के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

आशा है कि राज्य शासन इस गंभीर जनहित के विषय पर समयबद्ध कार्रवाई करते हुए डोंडी क्षेत्र के खनन प्रभावित आदिवासी परिवारों की वास्तविक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देगा।

“सादर धन्यवाद”

“जय जोहार, जय छत्तीसगढ़”

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नवा रायपुर।
2. प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय नवा रायपुर
3. सचिव, खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।

भवदीय